



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/डीओआर/2025-26/152

डीओआर.सीआई.आईसी.71/08.12.014/2025-26

28 नवंबर, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड) निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय I- प्रारंभिक	2
ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ	2
बी. प्रयोज्यता	2
अध्याय- II अवसंरचना के उप-क्षेत्रों के वित्तपोषण के लिए दीर्घकालिक बॉण्ड जारी करना	3
अध्याय III- निरसन और अन्य प्रावधान	7
ए. निरसन और व्यावृत्ति	7
बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं	7
सी. व्याख्याएँ	7

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा नीचे विनिर्दिष्ट इन निदेशों को जारी करता है।

अध्याय I – प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक- संसाधन जुटाने संबंधी मानदंड) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. यह निदेश उस दिन से प्रभावी हो जाएंगे जिस दिन इन्हें रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर डाला जाएगा।

बी. प्रयोज्यता

3. यह निदेश लघु वित्त बैंक (एसएफबी), स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी), भुगतान बैंक (पीबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) को छोड़कर वाणिज्यिक बैंक (इसके बाद सामूहिक रूप से 'बैंकों' और व्यक्तिगत रूप से 'बैंक' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे।

इस संदर्भ में, वाणिज्यिक बैंक का अर्थ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 की उपधारा (सी), (डीए) और (एनसी) के तहत परिभाषित सभी बैंकिंग कंपनियों, संबंधित नए बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक से है।

अध्याय II- अवसंरचना के उप-क्षेत्रों के वित्तपोषण के लिए दीर्घकालिक बॉण्ड जारी करना

4. वित्त के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से बैंक सात साल की न्यूनतम परिपक्वता के साथ दीर्घकालिक बॉण्ड जारी कर सकता है:

- (1) सभी अवसंरचना उप-क्षेत्रों में दीर्घकालिक परियोजनाओं को ऋण देना; और
- (2) किफायती आवास उप-क्षेत्र के तहत व्यक्तिगत आवास ऋण;

जैसा कि समय-समय पर आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से जारी अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुमेलित मास्टर सूची (एचएमएल) में शामिल और परिभाषित किया गया है।

5. **बुनियादी ढांचे के उप-क्षेत्रों के वित्तपोषण के लिए दीर्घकालिक बॉण्डों की मुख्य विशेषताएं**

- (1) **विनियामक प्रोत्साहन:** इस अध्याय के पैरा 6 के अनुसार ऐसे बॉण्डों से प्राप्त आय को जारी करने और परिनियोजित करने पर सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण दायित्वों पर विनियामक पूर्व-अधिगम को कम करने की दृष्टि से प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे।
- (2) **बॉण्ड का प्रकार:** लिखत पूरी तरह से भुगतान, रिडीम करने योग्य और अप्रतिभूत होगा। वे अन्य अभीमाकृत, अप्रतिभूत लेनदारों के साथ समान स्तर पर होंगे।
- (3) **निर्गम की मुद्रा:** बॉण्ड भारतीय रुपये मूल्यवर्ग में होंगे।
- (4) **परिपक्वता अवधि:** बॉण्ड की न्यूनतम परिपक्वता अवधि सात वर्ष होगी।
- (5) **निर्गम की मात्रा:** बैंक द्वारा जारी किए गए ऐसे बॉण्डों की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यद्यपि, विनियामक प्रोत्साहन केवल उन बॉण्डों तक ही सीमित रहेंगे जिनका उपयोग अवसंरचना उप-क्षेत्रों में दीर्घकालिक परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अन्य बैंकों या वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किसी भी वृद्धिशील अवसंरचना और किफायती आवास ऋण के लिए विनियामक प्रोत्साहनों के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- (6) **विकल्प(ऑप्शन):** बॉण्ड प्लेन वेनिला रूप में बिना किसी एम्बेडेड कॉल या पुट विकल्प के जारी किए जाएंगे।
- (7) **ब्याज दर:** बॉण्ड को या तो एक निश्चित या फ्लोटिंग ब्याज दर के साथ जारी किया जा सकता है। फ्लोटिंग रेट बॉण्ड के मामले में, ब्याज की दर को बाजार निर्धारित बेंचमार्क के लिए संदर्भित किया जाएगा।

- (8) **जारी करने की विधि:** बॉण्ड को सार्वजनिक निर्गम या निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जारी किया जा सकता है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित लागू दिशानिर्देशों और मानदंडों के पूर्ण अनुपालन में अनिवार्य क्रेडिट रेटिंग और लिस्टिंग से संबंधित है।
- (9) **जमा बीमा के लिए पात्रता:** बॉण्ड जमा बीमा के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (10) **विनियामक/सांविधिक अनुपालन:** दीर्घकालिक बॉण्ड जारी करने वाले बैंक को सभी प्रासंगिक सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक होगा।

6. विनियामक प्रोत्साहन

- (1) **विनियामक प्रोत्साहनों के लिए पात्र ऋण:** पात्र ऋण (ईसी)' सभी अवसंरचना उप-क्षेत्रों के लिए बकाया 'मानक' परियोजना ऋणों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करने की तारीख को 'किफायती आवास' उप-क्षेत्र के तहत बकाया 'मानक' आवास ऋणों को भी संदर्भित करेगा (आरक्षित आवश्यकताओं के लिए रिपोर्टिंग शुक्रवार और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र दायित्व की गणना के लिए का 31 मार्च को समाप्त वर्ष), जहां ऐसे ऋणों की मूल परिपक्वता अवधि सात वर्ष से अधिक है तथा वे आरबीआई और अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं द्वारा पुनर्भुनाए गए बिलों का निवल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) निदेश, 2025 के संदर्भ में गणना सीआरआर और एसएलआर को बनाए रखने के उद्देश्य से डीटीएल को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।	
उपर्युक्त पैराग्राफ 6 (1) के अनुसार विनियामक प्रोत्साहन के लिए पात्र दीर्घकालिक ऋण की राशि।	ईसी
अवसंरचना ऋण और किफायती आवास ऋणों के वित्तपोषण के लिए जारी किए गए बकाया दीर्घकालिक बांड, जैसा कि यहां दर्शाया गया है।	एलबी

बैंक के लिए डीटीएल जिसने दीर्घकालिक बांड जारी किए हैं जैसा कि यहां दर्शाया गया है	I – Min (ईसी और एलबी)
---	-----------------------

(2) **आरक्षित आवश्यकताओं का अनुपालन:** बॉण्डों को निवल मांग और मीयादी देयताएं (एनडीटीएल) की गणना से छूट दी जाएगी और इसलिए सीआरआर/एसएलआर आवश्यकताओं के अधीन नहीं होगा। हालांकि, यह छूट ऊपर्युक्त पैराग्राफ 6 (1) में उल्लिखित "पात्र क्रेडिट" की सीमा के अधीन होगी। इसलिए, बैंक के लिए मांग और मीयादी देयताएं (डीटीएल) की गणना नीचे दिए गए अनुसार की जाएगी:

(3) **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानदंडों में छूट:** पात्र बॉण्डों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के उद्देश्य से समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) की गणना में भी छूट मिलेगी, जैसा कि [मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक \(प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण – लक्ष्य और वर्गीकरण\) निदेश, 2025](#) में उल्लिखित गणना के अनुसार है।

7. **क्रॉस-होल्डिंग:** बैंक अन्य बैंकों द्वारा जारी किए गए दीर्घकालिक बॉण्डों में निवेश कर सकता है। तथापि, सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं के साथ-साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण पर विनियामक छूट की अनुमति देने का प्राथमिक उद्देश्य अवसंरचना परियोजनाओं और किफायती आवास को ऋण देने के लिए दीर्घावधि बॉण्ड जारी करने को प्रोत्साहित करना है। इस उद्देश्य को बनाए रखने के लिए और अनुमत विनियामक छूटों की दोहरी गिनती को रोकने के लिए, ऐसे निवेश निम्नानुसार शर्तों के अधीन होंगे:

- (1) एनडीटीएल की गणना के उद्देश्य से ऐसे बॉण्डों में बैंक के निवेश को 'भारत में बैंकिंग प्रणाली के साथ परिसंपत्ति' के रूप में नहीं माना जाएगा।
- (2) इस तरह के निवेश एचटीएम श्रेणी के तहत नहीं किए जाने चाहिए।
- (3) इस तरह के बॉण्ड के किसी विशिष्ट इश्यू में निवेश बैंक के निवेश को निवेश बैंक की टियर 1 कैपिटल के दो प्रतिशत या इश्यू साइज के पांच प्रतिशत, जो भी कम हो, तक सीमित किया जाएगा।
- (4) ऐसे बॉण्डों में निवेश करने वाले बैंक की कुल हिस्सेदारी उसके कुल गैर-एसएलआर निवेश के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी।
- (5) इस तरह के बॉण्ड जारी करने के प्राथमिक निर्गम आकार का 20 प्रतिशत से अधिक बैंकों को आवंटित नहीं किया जा सकता है।
- (6) बैंक अपने स्वयं के बॉण्ड नहीं रख सकता है।

इसके अलावा, आरबीआई के प्रासंगिक मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंड ऐसे निर्गमों और निवेशों पर लागू होंगे।

8. अन्य आवश्यकताएं

- (1) **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) अनुपालन आवश्यकता:** जहां भी लागू हो बैंक फेमा आवश्यकताओं का पालन करेगा।
- (2) **रिपोर्टिंग आवश्यकताएं:** दीर्घकालिक बॉण्ड जारी करने वाला बैंक बॉण्ड जारी करने के तुरंत बाद बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), आरबीआई को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें जारी किए गए बॉण्डों का विवरण जैसे कि जुटाई गई राशि, लिखत की परिपक्वता, ब्याज दर, साथ ही प्रस्ताव दस्तावेज की एक प्रति प्रदान किया जाएगा।

अध्याय III - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और व्यावृत्ति

9. इन निदेशों के जारी होने के साथ, वाणिज्यिक बैंकों पर यथा लागू संसाधन जुटाने (Resource Raising) से संबंधित मौजूदा निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि [परिपत्र डीओआर.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 दिनांक 28 नवंबर 2025](#) द्वारा सूचित किया गया है। इन निदेशों को जारी करने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।

10. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या कथित तौर पर की गई या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उनके प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियों या अभिस्वीकृतियों को इन निदेशों द्वारा शासित माना जाएगा। इसके साथ, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के निरसन से निम्नलिखित पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

- (1) उसके तहत प्राप्त, अर्जित या उपगत किया गया कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;
- (2) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी दंड, जब्ती या सजा;
- (3) पूर्वोक्त के रूप में इस तरह के किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती, या सजा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही, या उपाय; और इस तरह की कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित, जारी या लागू किया जा सकता है और इस तरह के किसी भी दंड, जब्ती या सजा को लगाया जा सकता है जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

11. इन निदेशों के प्रावधान तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनकी अवहेलना नहीं करेंगे।

सी. व्याख्याएँ

12. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से या इन निदेशों के प्रावधानों के आवेदन या व्याख्या में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक

समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(वैभव चतुर्वेदी)

मुख्य महाप्रबंधक